सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राज

प्रकरण : संख्या – 299/10 शीर्षक (वाद) ...हर्जाना..... बनाम ...मु. [illegible]...

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
13/1/18	प्रश्नावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता वादी एवं वादी गवाह अनुपस्थित। वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु 01 वर्ष से अधिक समय एवं 6 अवसर प्रदान किये गये। फिर भी वादी द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं कि गयी। जिससे वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रही अतः वादीगण का वाद अक्ष साक्ष्य में खारिज किया जाता है। प्रश्नावली फैसल शुमार होकर नस्ती में कम कि जावे। शुभ
	सहायक कलेक्टर, (Nikhil Gupta) उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा (राज.)